

(3) स्वयं की मोबाइल सं. (यदि उपलब्ध है)
मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार की मोबाइल सं०

(या)

(4) स्वयं का ई-मेल खाता (यदि उपलब्ध है)
(या)

मद सं. 2 पर उल्लिखित नातेदार का ई-मेल
खाता

(5) आधार के ब्यौरे :- (समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाए)

(क) आधार सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 या

(ख) मैं आधार सं० प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है।

(6) लिंग पुरुष स्त्री तृतीय लिंग

(7) (क) जन्म तारीख

ता	ता	/	मा	मा	/	व	व	व	व

(ख) आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है (निम्नलिखित में से कोई एक)

(i) जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज :- (इनमें से कोई एक)

- सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण/जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- चालन अनुज्ञप्ति
- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाण-पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है।
- भारतीय पासपोर्ट

(ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :- (यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____

(8)(क) वर्तमान साधारण निवास (पूरा पता)	मकान/भवन/अपार्टमेंट सं०	गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/रोड
	नगर/गांव	डाक घर
	पिन कोड	तहसील/तालुका/मंडल
	जिला	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की स्व: प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज :- (इनमें से कोई एक)

- | | |
|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) | 2. <input type="checkbox"/> आधार कार्ड |
| 3. <input type="checkbox"/> राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक | 4. <input type="checkbox"/> भारतीय पासपोर्ट |
| 5. <input type="checkbox"/> राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है | |
| 6. <input type="checkbox"/> रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) | 7. <input type="checkbox"/> रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) |

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज :-

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) चलित दृष्टि मूक-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें) _____

दिव्यांगता का प्रतिशत: प्रमाण पत्र संलग्न (उपयुक्त स्थान पर सही (✓) का निशान लगाये) हां नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके ~~सब~~ वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यारे ~~निर्वाचक~~ है :-

परिवार के सदस्य का _____ आवेदक के साथ संबंध _____
नाम

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं० : _____

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, -

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है :- _____ ग्राम/शहर

_____ जिला _____ राज्य

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र. सं. 8(क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।

(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iv) मेरे पास ऊपर 7 (ख) (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थन में (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।

(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख : _____

स्थान : _____

आवेदन के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके/उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण -

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

✂

आवेदन के लिए स्वीकृति/रसीद

✂

अभिस्वीकृति संख्या _____ तारीख _____

श्री/श्रीमति/सुश्री का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त आ।

[आवेदक, आवेदन की प्रस्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

(6)

प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. सामान्य अनुदेश :-

(क) आवेदन, ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (वि.स.)/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लो.स.) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन (Peace Station) पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।

* (घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) : ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात्, समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **मद (1)* (नाम)** : सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती हैं।

3. **मद (2क) और मद (2ख) *(नातेदार का नाम और उपनाम)** : विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)

4. **मद (5) आधार के ब्यौरे** : प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

5. मद (6) (लिंग)

* (क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष' / 'स्त्री' / 'तृतीय लिंग' चिह्नित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक अपने लिंग को 'पुरुष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. मद (7) (क)(ख) (जन्म तारीख) :

* (क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद (ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. मद (8) (वर्तमान साधारण निवास) :

*(क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, नामांकन करा सकते हैं।

8. *घोषणा : "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

*कृपया ध्यान दें कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।**

घोषणा पत्र

(नए मतदाता के रूप में नामांकन/राज्य के बाहर से स्थानांतरित होने पर फॉर्म 6/फॉर्म 8 के साथ जमा किया जाता है)

निर्वाचक का नाम:

मोबाईल नं.:

पता:

पिता/अभिभावक का नाम	
पिता/अभिभावक का ईपिक नम्बर(यदि उपलब्ध हो)	
मां का नाम	
माता का ईपिक नम्बर(यदि उपलब्ध हो)	
पति या पत्नी का नाम(यदि लागू हो)	
पति या पत्नी का ईपिक नम्बर(यदि उपलब्ध हो)	

पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण			पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, पिछले एसआईआर के अनुसार		
निर्वाचक का नाम:			नाम:		
ईपिक नम्बर(यदि उपलब्ध हो):			ईपिक नम्बर(यदि उपलब्ध हो):		
रिश्तेदार का नाम:			रिश्तेदार का नाम:		
रिश्ता:			रिश्ता:		
जिला:			जिला:		
राज्य का नाम:			राज्य का नाम:		
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:			विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:		
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या:	भाग संख्या:	क्रम संख्या:	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या:	भाग संख्या:	क्रम संख्या:

(i) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।

(ii) मैं फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है।

अथवा

मैं स्थानांतरण पर फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

(iii) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास करता/करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों, दण्डनीय अपराध होगा।

मतदाता के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान तिथि सहित

बीएलओ की घोषणा: मैंने उपरोक्त को पिछले एसआईआर मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है।

बीएलओ के हस्ताक्षर

बीएलओ का नाम एवं मोबाईल नम्बर

घोषणा पत्र के लिए सूचना पत्र

मतदाता <https://voters.eci.gov.in/> पर जाकर पिछली एसआईआर मतदाता सूची में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम जाँच सकते हैं एवं घोषणा पत्र में विवरण प्रदान कर सकते हैं। सहायता के लिए, मतदाता संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। ईआरओ उन मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा जिनके पिछले एसआईआर मतदाता सूची के विवरण, जो घोषणा पत्र में दिए गए हैं, या तो उपलब्ध नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे:

- यदि आपका जन्म भारत में 01.07.1987 से पहले हुआ हो
 - स्वयं की जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें
- यदि आपका जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ हो
 - स्वयं की जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें
 - नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
- यदि आपका जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ हो
 - स्वयं की जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान की पुष्टि हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें
 - नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
 - माता के लिए, नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि और/ या जन्म स्थान को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
 - यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति प्रदान करें।
- यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें)
- यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)

दस्तावेज़ों की सांकेतिक (सम्पूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लिखित में से हों, तो स्वयं, पिता एवं माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें):

1. किसी केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी / पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश
2. भारत में किसी सरकारी / स्थानीय निकाय / बैंक / डाकघर / एलआईसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र / प्रमाण-पत्र / दस्तावेज़
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र
4. पासपोर्ट
5. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण-पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी / एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो)
10. राज्य / स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर
11. सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की निर्वाचक नामावली का सार।
